(65)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य.

प्रकरण कमांक निग0 3614–एक/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.10.16 पारित द्वारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 55/बी–121/2014–15.

———

दुर्गाप्रसाद यादव (मृत) द्वारा वारिसान –
1. राजेन्द्र सिंह यादव वल्द स्व. दुर्गाप्रसाद यादव
2. प्रदीप सिंह यादव वल्द स्व. दुर्गाप्रसाद यादव
कं. 1 व 2 निवासी ग्राम मझगवां तह. पाटन
जिला जबलपुर

विरूद्ध

छप्पन कोल आत्मज भदईकोल (मृतक) द्वारा वारिसान –

शिवप्रसाद कोल पिता छप्पन कोल
निवासी तमोरिया तह. पाटन
जिला जबलपुर

———

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी ।

अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री अमित मिश्रा ।

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/12/17 को पारित)

———

यह निगरानी आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 55/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 14–10–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक के पिता मृतक छप्पन कोल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि ग्राम भरतरी तहसील पाटन जिला जबलपुर स्थित विवादित भूमि को आवेदकों (अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अनावेदकों) द्वारा अवैधानिक तरीके से अपने नाम दर्ज करवा ली गई है जिसे उसे पूर्ववत भूमिस्वामी के रूप में स्थापित करते हुए

उपरोक्त भूमि को आवेदकों से मुक्त कर पृथक कब्जा दिलाया जाये । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी ने उभयपक्षों को सुनने एवं आवश्यक कार्यवाही उपरांत दिनांक 14–7–11 को आदेश पारित करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय अनावेदक द्वारा सन् 1977 में विक्रय किया गया है और उसी आधार पर आवेदकों का नामांतरण किया गया है । उन्होंने अनेक न्यायदृष्टांतों का हवाला देते हुए यह पाया कि आवेदकों के विरूद्ध संहिता की धारा 170 ख के अंतर्गत कार्यवाही प्रचलन योग्य साबित नहीं होती है और उन्होंने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन विधिसम्मत न होने से निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपील पेश की जिसमें अपर कलेक्टर ने दिनांक 28–11–14 को आदेश पारित करते हुए अपील आंशिक रूप से से स्वीकार करते हुए प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदकों से दिलाए जाने एवं राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दर्ज करने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो आयुक्त ने आदेश दिनांक 14–10–16 द्वारा निरस्त की है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों एवं अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है । निगरानी मेमो में मुख्य रूप से यह आधार लिये गये हैं कि मौजा भरतरी पाटन जिला जबलपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदक मृतक छप्पन कोल आत्मज भदई कोल द्वारा दिनांक 17–11–1977 को मूल रूप से दुर्गाप्रसाद यादव (मृत) द्वारा वारिसान आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित किया था और विक्रयपत्र में अपनी जाति गोंटिया लिखवाई गई थी इसी आधार पर उसके द्वारा अन्य भूमि बैनामा दिनांक 5–2–1975 के द्वारा श्रीमती रूपाबाई जोजे मिटठूलाल राजपूत को विक्रय की थी उसमें भी अनावेदक द्वारा स्वयं को छप्पन गोंटिया लिखवाया गया था ।

यह तर्क भी दिया गया है कि आवेदकगण के पिता दुर्गाप्रसाद यादव जीवन पर्यन्त वादग्रस्त भूमि के कब्जे में रहे आये और वर्तमान में उनके वारिसान अर्थात आवेदकगण चले आ रहे हैं और उनके स्वामित्व व कब्जे को वर्ष 2013–14 के पूर्व अनावेदक के द्वारा कभी कोई चुनौती नहीं दी गई बल्कि उसके द्वारा निष्पादित विक्रयपत्र को हमेशा स्वीकार किया गया है । उक्त आधारों पर ही अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त करते हुए यह निष्कर्ष दिया गया था कि विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रत्यर्थी आदिवासी जाति का है, ऐसा स्पष्ट नहीं किया था और ऐसा कोई दस्तावेज तत्संबंध में प्रस्तुत भी नहीं किया गया, अतः उक्त विक्रयपत्र का निष्पादन कपटपूर्ण नहीं

होने का निष्कर्ष दिया गया था जो न्यायिक एवं विधिसम्मत है । कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतया अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया है जो अवैधानिक है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं शपथपत्र पर कथन करते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि पूर्व में कतिपय व्यक्तियों के उकसाने से गलत आपत्ति प्रस्तुत की गई थी और वह वास्तव में गोंटिया जाति का व्यक्ति है जोकि आदिवासी जाति के अंतर्गत नहीं आती है और उसके द्वारा अपनी जाति गोंटिया लिखवाते हुए अपनी अन्य भूमि को अलग–अलग व्यक्तियों जैसे साधुराम महाराज, प्रका यादव, रूपाबाई राजपूत व राजेन्द्र पटेल को विक्रय किया गया था और उनका नामांतरण भी हुआ था जिसे उसके द्वारा हमेशा स्वीकार किया गया है और इस प्रकार अनावेदक मृतक छप्पन कोल के द्वारा स्वयं को गोटिया जाति के होने का कथन किया था इसी प्रकार उसके पुत्र अनावेदक शिवप्रसाद के द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शपथ पर कथन करते हुए अपने पिता छप्पन कोल के कथन का समर्थन किया था और इसी आधार पर राजीनामा प्रस्तुत करते हुए न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14–7–11 को स्थिर रखने की प्रार्थना की थी ।

यह तर्क भी दिया गया है कि उक्त शपथपत्र एवं कथनों का उल्लेख आयुक्त ने आदेश में किया है परंतु उसके आधार पर आदेश पारित न करते हुए अपील को निरस्त किया गया है जो पूर्णतः अवैधानिक है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने की प्रार्थना की गई है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक के पिता द्वारा आवेदकगण के पिता मृतक दुर्गाप्रसाद के पक्ष में दिनांक 17–11–1977 को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से भूमि का विक्रय किया गया है । विक्रयपत्र में विक्रेता अनावेदक के पिता मृतक छप्पन कोल द्वारा स्वयं को गोंटिया जाति का होना दर्शाया है आदिवासी होने का कोई उल्लेख नहीं किया है । इसके अतिरिक्त अभिलेख में अनावेदक के पिता द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों के पक्ष में समय–समय पर किये गये भूमि के विक्रयपत्रों की प्रतियां भी संलग्न है उन विक्रयपत्रों में उसने स्वयं को गोंटिया जाति का होना दर्शाया

है । विक्रयपत्र के निष्पादन के 35 वर्ष तक कभी कोई आपत्ति आवेदक के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र और उसके आधार पर किए गए नामांतरण, कब्जे स्वामित्व के संबंध में अनावेदक द्वारा नहीं की गई है और ना ही अन्य व्यक्तियों के पक्ष में किए गए विक्रयपत्रों के संबंध में कोई आपत्ति की है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में दिया गया निष्कर्ष पूर्णत उचित है कि विक्रयपत्र के निष्पादन के समय अनावेदक आदिवासी जाति का है ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया और ना ही कोई दस्तावेज तत्संबंध में प्रस्तुत किया गया है । अतः इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए न्यायिक एवं विधिसम्मत है । अपर कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतया अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है । जहां तक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक के पिता मृतक छप्पन कोल द्वारा स्वयं को गोंटिया जाति होना संबंधी शपथपत्र पर कथन करते हुए यह कहा गया है कि कतिपय व्यक्तियों के उकसाने से गलत आपत्ति प्रस्तुत की गई थी और वह वास्तव में गोटिया जाति का व्यक्ति है और उसके द्वारा अपनी जाति गोंटिया लिखवाते हुए अपनी अन्य भूमि में से अलग–अलग व्यक्तियों जैसे साधुराम महाराज, प्रकाश यादव, रूपाबाई राजपूत व राजेन्द्र पटेल को भूमि विक्रय की थी और नामांतरण भी हुआ थी जिसे उसके द्वारा हमेशा स्वीकार किया गया है । इसी प्रकार छप्पन कोल के वारिस अनावेदक शिवप्रसाद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शपथ पर कथन करते हुए अपने पिता के कथन का समर्थन किया था और इसी आधार पर राजीनामा प्रस्तुत करते हुए अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–7–11 को स्थिर रखने की प्रार्थना की थी । इस न्यायालय के समक्ष भी अनावेदक की ओर से इसी आशय का आवेदन एवं शपथपत्र तर्कों के दौरान प्रस्तुत किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा अनावेदक एवं उसके पिता के द्वारा शपथपत्र पर कई गई बातों का उल्लेख तो किया गया है, परंतु वे क्योंकर मान्य योग्य नहीं है, इस संबंध में कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की है । ऐसी स्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत है जिसे निरस्त करने में अपर कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है और अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अवैधानिक कार्यवाही की गई है । इस कारण उक्त आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाए जाते हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 55/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 14–10–2016 एवं अपर कलेक्टर,

जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 64/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 28–11–2014 निरस्त किए जाते हैं एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी, पाटन द्वारा प्र0क0 146/बी–121/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 14–7–11 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर